आदेश की सं0 और तारीख।

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id:-dccourt.grd@gmail.com)

वनभूमि अतिक्रमण अपील वाद सं0 02/2021

रामधनी महतो एवं अन्य–बनाम–राज्य (DFO,East)

1	2	3
13.02.25	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। प्रस्तुत अतिक्रमण अपील वाद वन भूमि अतिक्रमण वाद सं0 18/2018 में न्यायालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह द्वारा दिनांक 21.06.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार वादगत भूमि गरायडीह पी0एफ0 के प्लॉट नं0 2 एवं 3 के कुल 4.17 एकड़ वन भूमि है तथा इस पर प्रथम पक्षों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है तथा यह भूमि सुरक्षित एवं अधिसूचित वन भूमि होने के कारण उन्हें मुक्त करने हेतु आदेश पारित किया गया है। प्रथम पक्षों का अभिकथन है कि भूमिहीन होने के कारण उन्हें वर्ष 1987 में भूदान यज्ञ समिति द्वारा ग्राम– गरायडीह, खाता नं0 19, प्लॉट नं0 03 में 90 डी0 भूमि दान में प्रदान की गई है तथा इसमें से प्रथम पक्षों के द्वारा मात्र 45 डी0 भूमि का ही उपयोग किया जा रहा है जिसमें उन लोगों को वर्ष 2002 में सरकार की ओर से इंदिरा आवास का भी लाभ मिला है तथा इंदिरा आवास प्राप्त करने के पूर्व वन विभाग द्वारा इस आशय का NOC भी निर्गत किया गया था कि वादगत भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। प्रथम पक्षों का यह भी अभिकथन है कि वर्ष 1987 से मिट्टी का घर बनाकर वे लोग रह रहे हैं तथा वर्ष 2018 तक वन विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा उन्हें कोई नोटिश निर्गत नहीं किया गया है तथा विगत 30–31 वर्षों से वे सभी उक्त स्थान पर निवास करते आ रहे हैं। ऐसे में यदि उन्हें वहाँ से हटाया जाता है तो वे बेघर हो जाएंगे एवं तद्नुसार न्यायोचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। निम्न न्यायालय के अभिलेख, आदेश, प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अभिकथन के परिशीलन के उपरांत निम्न तथ्य परिलक्षित होते हैं:–	

(1). यह कि वादगत भूमि का (तथाकथित अतिक्रमित) रकवा 40–45 डी0 है न कि 4.17 एकड़।

(2). यह कि वादीगणों को भूदान यज्ञ समिति से मात्र 90 डी0 भूमि प्राप्त है जिसमें से मात्र 40–45 डी0 पर ही उनलोगों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है तथा शेष भूमि वे मुक्त करने की स्थिति में हैं।

(3). यह कि वादीगण 1987 से अबतक वहाँ लगातार निवास कर रहे हैं तथा उक्त भूमि पर उन्हें सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिला है।

(4). यह कि सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित वन विभाग से NOC प्राप्त होने के उपरांत किया गया है।

(5). यह कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह के अनुसार यह भूमि सुरक्षित वन भूमि है।

(6). यह कि अपीलार्थियों को भूमि खाली कराने की स्थिति में वे बेघर हो जायंगे जो न सिर्फ नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध होगा बल्कि यह welfare state की अवधारणा के प्रतिकूल भी होगा।

(7). यह कि यह मामला Principle of Adverse Possession को भी आमंत्रित करता है।

(8). यह कि इस भूमि पर इतने वर्षों से निवास कर रहे व्यक्तियों पर पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(9). वन प्रमण्डल पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह के आदेश में इन तथ्यों का घोर अभाव दिखता है तथा पारित आदेश एक Mechanical आदेश की तरह है।

(10). वन प्रमण्डल पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह द्वारा अपीलार्थियों के द्वारा रखे गये तथ्यों का भौतिक जाँच नहीं कराया गया न ही इस तथ्य को संज्ञान में लिया गया कि विगत 30–31 वर्षों से निवास कर रहे व्यक्तियों को उनके घर खाली करा देने पर उसका उन पर और समाज पर क्या Impact पड़ेगा तथा उनके द्वारा इनके पुनर्वास की व्यवस्था हेतु भी कोई टिप्पणी उनके आदेश में उल्लेख नहीं है।

–:आदेश:–

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस वाद को Remand Back करते हुए वन प्रमण्डल पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह को आदेश दिया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा Observe किये उपरोक्त तथ्यों के आधार इसकी पुनः सुनवाई करते

हुए एक सुविचारित एवं सुस्पष्ट आदेश पारित करें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय अभिलेख वापस की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकरी
गिरिडीह।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकरी
गिरिडीह।

Digitally signed by Naman Priyesh Lakra
Date: 2025.03.01 16:09:44 +05:30
Location: 192.168.0.123